| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो हुक्म की ता[illegible] में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 2/1/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वास्ते कुरैजात पत्रावली दिनांक 20/1/2025 को पेश हो<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी [illegible] | |
| 20/01/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०) तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 8685 दिनांक 23/12/24 द्वारा बांदीकुई के पत्रांक 8685 दिनांक 23/12/24 द्वारा कुरैजात प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न है। वकील उभयपक्ष द्वारा कुरैजात का अवलोकन कर सीधे बहस कुरैजात की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्राप्त कुरैजात का अवलोकन किया गया। प्राप्त कुरैजात बरूये राजस्व रिकॉर्ड के विधिवत तैयार किये जाना प्रतीत होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाना उचित प्रतीत होता है अतः तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादीवाद अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालनार्थ तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो प्रकरण फैसलशुमार होकर<br>[signature] 20/1/25<br>उप खण्ड अधिकारी<br>बांदीकुई (दौसा) | |

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण संख्या :—171 / 2023
प्रकरण दायर दिनांकः— 17.10.2023
प्रकरण निर्णय दिनांकः— 20.01.2025

उनवान— 1. भगवानसहाय पुत्र किलाण उम्र 42 वर्ष जाति माली निवासी भण्डारया माली की ढाणी, ग्राम खेडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र रामसहाय उम्र 75 वर्ष
2. किलाण पुत्र नानगराम उम्र 72 वर्ष
3. कमला पुत्री छोटया उम्र 47 वर्ष
4. कैलाश पुत्र छोटया उम्र 53 वर्ष
5. खेला बाई पुत्री छोटया उम्र 39 वर्ष
6. गणपत पुत्र छोटया उम्र 42 वर्ष
7. गिर्राज पुत्र लक्ष्मण उम्र 47 वर्ष
8. गोविन्दी पत्नि गोकल उम्र 82 वर्ष
9. तोफली पत्नि सांवल्या उम्र 75 वर्ष
10. देवीसहाय पुत्र लक्ष्मण उम्र 34 वर्ष
11. दिनेश पुत्र किलाण उम्र 30 वर्ष
12. बाबूलाल पुत्र सांवल्या उम्र 33 वर्ष
13. बाबूलाल पुत्र रखा उर्फ सुवा उम्र 50 वर्ष
14. ओमप्रकाश पुत्र किलाण उम्र 39 वर्ष
15. भीखालाल पुत्र गोकल उम्र 61 वर्ष
16. राजू पुत्र लक्ष्मण उम्र 35 वर्ष
17. रामकिशोर पुत्र लक्ष्मण उम्र 38 वर्ष
18. रामोतार पुत्र सांवल्या उम्र 48 वर्ष
19. विमला पुत्री लक्ष्मन उम्र 49 वर्ष

समस्त जाति माली निवासी भण्डारया माली की ढाणी ग्राम खेडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा

## दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
## मुकदमा नं.—171 / 2023 सन्—2023

**निर्णय दिनांक 20.01.2025**

वादी द्वारा वाद पत्र दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि भूमि खाता संख्या नया 39 पुराना 39 आराजी खसरा नंबर 39 लगायत 64 कुल किता 26 कुल रकबा 4.91 हैक्टेयर वाके रामा ढण्ढ तहसील बडियाल कलां जिला दौसा स्थित चली आ रही है जिसमें वादी का हिस्सा 1 / 112 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी चला आ रहा है तथा खाता संख्या नया 91 पुराना 85 आराजी खसरा नं. 757 लगायत 760 कुल किता 4 कुल रकबा 1.45 हैक्टेयर वाके रामा खेडा

Scanned with OKEN Scanner

तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित चली आ रही है जिसमे वादी का हिस्सा 1/112 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमि मुतदाविया खाता संख्या नया 39 पुराना 39 एवं खाता संख्या नया 91 पुराना 85 वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 28 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 28 का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी चला आ रहा है। जिसको वादी व प्रतिवादीगण ने अपने बुजुर्गान के समय से अपने–अपने हिस्से अनुसार बाहमी रूप से बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर बिना किसी विध्न व विरोध के उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। भूमि मुतदाविया का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 28 ने बाहमी रूप से बंटवारा कर रखा है व उस अनुसार ही पक्षकारान काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है भूमि मुतदाविया का अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य भूमि के कम ज्यादा रकबे को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है व भूमि मुतदाविया में बुवाई और कटाई के समय आपसी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे पक्षकारान के मध्य संगीन झगडा फिसाद होने की संभावना बनी रहती है। पक्षकारान को सरकार द्वारा दी जाने वाले कृषक सहायता को प्राप्त करने में भी भारी असुविधा का सामना करना पडता है तथा प्रतिवादीगण खूँखार किस्म के झगडालू प्रवृति के लोग है जो जबरन वादी के हिस्से कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि पर अपने धनबल व बाहुबल से जबरन अवैध रूप से पुख्ता निर्माण कर अपना जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। ऐसी सूरत में वादी भूमि मुतदाविया का रास्तो व कब्जे एवं रिहायश को ध्यान में रखते हुये विधिवत सरस नरस अनुसार तकास्मा करवाकर अपना अलग पर्चा पासबुक जारी करवाकर लगान का विभाजन करवाने का विधिक रूप से अधिकारी है इसलिये विधिवत कब्जे, रास्तो एवं रिहायश का ध्यान रखते हुये सरस–नरस अनुसार तकास्मा करवाकर वादी का अलग खाता कायम किया जाकर पर्चा पासबुक जारी की जावे व लगान का विभाजन किया जावें। भूमि मुतदाविया का वादी अपने हिस्से की भूमि का तन्हा मालिक है। तथा उक्त भूमि का बतौर मालिक उपयोग करने का वादी को पूरा–पूरा विधिक अधिकार है। प्रतिवादीगण व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिये भूमि मुतदाविया से वादी को बेदखल करने पर आमादा है। जबकि वादी को भूमि मुतदाविया में अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने एवं लाभान्वित होने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि भूमि मुतदाविया से वादी को जबरन मौके से बेदखल करे। किन्तु प्रतिवादीगण ने बिना भूमि का विधिवत तकास्मा हुये ही वादी के हिस्से की किमती भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर रहन बय करने पर आमादा व जबरन वादी की कब्जे काश्त उपयोग उपभोग खातेदारी की भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है और यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 28 अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गये तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। दिनांक 10.10.2023 को वादी की कब्जे काश्त खातेदारी व उपयोग उपभोग की भूमि मुतदाविया में प्रतिवादीगण ने जबरन बल प्रयोग कर मौके पर पत्थर बजरी आदि निर्माण साम्रगी डाल दी व मौके पर निर्माण कार्य करने व दीगर बलशाली लोगो को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि यह भूमि मेरे कब्जे काश्त व खातेदारी की है इस पर आपको निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। व निर्माण करने से पूर्व आप भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा करवा लो तो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत

Scanned with OKEN Scanner

28 व उसके मददगारान नाराज हो गये और वादी के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने पर आमादा हो गये। वादी गरीब व मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो प्रतिवादीगण राजनैतिक प्रभाव धनबल व बाहुबल वाले व्यक्ति है जो सांठगांठ कर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा हो रहे है व एलानिया धमकी दे रहे है कि हम निर्माण करके रहेंगे तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते हो तुमसे जो हो सकता है कर लो। प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसदो से बाज नहीं आ रहा है यदि प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसदो में कामयाब हो गये तो वादी को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो पायेगी। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से तहसील में चलकर विधिवत तकास्मा करवाने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया ऐसी सूरत में सिवाय दावा हाजा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं होने से वाद पत्र तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्नांकित भांति से डिक्री फरमाया जावें कि वादपत्र में वर्णित भूमि खाता संख्या नया 39 पुराना 39 के आराजी खसरा नं. 39 लगायत 64 कुल किता 26 कुल रकबा 4.91 हैक्टेयर वाके रामा ढण्ढ तहसील बांदीकुई जिला दौसा में वादी का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार यथा संभव कब्जा, सरस–नरस, इकजाई व रास्तो को ध्यान में रखते हुये तकसीम की जाकर वादी का अलग खाता कायम किया जाकर अलग पासबुक जारी की जावे व लगान का विभाजन किया जावें। प्रतिवादीगण को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे की वे उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं जरिये अपने मददगारान, परिवारजन, नौकर, ऐजेन्ट किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता या खाम निर्माण करने से वादी को भूमि मुतदाविया में प्राप्त विधिक अधिकारो के उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत पैदा करने से एवं वादी के विधिक अधिकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अवैध कार्य करने से, रहन बय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने से सदैव के लिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित रहें। तथा प्रतिवादी संख्या 33 व 34 के समक्ष प्रस्तुत भूमि मुतदाविया से संबंधित किसी भी प्रकार के रहन बय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरण संबंधी विलेख को पंजीकृत करने से प्रतिबंधित रहे। व राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 27 व 29 लगायत 34 बावजूद रजिस्टर्ड एडी तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 27 व 29 लगायत 34 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 28 की एडवोकेट श्री राजेश कुमार ने वकालतनामा पेश किया। उभयपक्ष वकील द्वारा वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किये जाने पर वादी वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बॉदीकुई को कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 8685 दिनांकः 23.12.2024 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का उभयपक्ष वकील द्वारा अवलोकन किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का उभयपक्ष वकील द्वारा अवलोकन किया गया एवं प्राप्त कुरैजात अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया तथा सहमति प्रकट की। हमने प्राप्त कुरैजात का अवलोकन किया।

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है–

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्रम सं. | ग्राम | प्रस्तावित प्रविष्टि | खसरा नंबर | रकबा | किस्म |
| 1. | ढण्ड | ओमप्रकाश, दिनेश, भगवानसहाय पि0 किलाण हि0 6/37 स0 भाग किलाण पि. नानगाराम हि. 31/37 रहन हि. 25/37 यूको बैंक शाखा मानपुर हि. 6/37 बिला रहन जाति माली सा. देह खातेदार | 52 मि.<br>60<br>61<br>62<br>63 मि.<br>49 मि. | 0.2600<br>0.0800<br>0.0800<br>0.0500<br>0.1650<br>0.1300 | जाव 11, चाही 15<br>चाही<br>चाही<br>चाही<br>चाही<br>चाही |
| | | | किता 06 | 0.7650 | |
| 2. | | ओमप्रकाश, दिनेश, भगवानसहाय पि. किलाण हि. 18/222 स. भाग किलाण पुत्र नानगराम हि. 93/222 रहन हि. 75/222 शाखा यूको बैंक मानपुर 18/222 बिला रहन तोफली पत्नि सांवल्या हि. 25/222 रामावतार, बाबूलाल पि. सांवल्या हि. 86/222 स. भाग जाति माली सा. देह खातेदार | 63 मि. | 0.0350 | चाही |
| | | | किता 01 | 0.0350 | |

४५६–

Scanned with OKEN Scanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | | कन्हैया पुत्र रामसहाय हि. 61375/457122 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हि. 61375/457122 बीओबी शाखा बांदीकुई कैलाश, गणपत, विसराम पि. छोटया, कमला, खेलाबाई, लाडबाई पुत्रियान छोटया, हरबाई पत्नी छोट्या हि. 61375/457122 स. भाग पूर्ण हि. राहिन यूकों बैंक मानपुर, गिर्राज, देवीसहाय, राजू, रामकिशोर, श्रीराम पि. लक्ष्मण, सुकली पत्नि लक्ष्मण हि. 61375/457122 स. भाग बिला रहन गोविन्दी पत्नि गोकल, भीकालाल पुत्र गोकल, हि. 61375/457122 स. भाग राहिन यूको बैंक बडियाल कलां, तोफली पत्नि सांवल्या हि. 370300/8456757 स. भाग पून्या, सम्पत पि. श्रवण हि. 61375/457122 स. भाग बाबूलाल पि. रखा हि. 61375/457122 बिला रहन सम्पूर्ण खातेदार जाति माली सा. देह खातेदार | 39 | 0.1400 | चाही–1 |
| | | | 40 | 0.1400 | चाही–1 |
| | | | 41 | 0.1700 | चाही–1 |
| | | | 42 | 0.1700 | चाही–1 |
| | | | 43 | 0.2500 | चाही–1 |
| | | | 44 | 0.1200 | चाही–1 |
| | | | 47 | 0.0200 | गै.मु. आबादी |
| | | | 48 मि. | 0.4000 | चाही–1 |
| | | | 49 मि. | 0.3700 | चाही–1 |
| | | | 50 | 0.0700 | चाही–1 |
| | | | 51 | 0.4800 | चाही–1 |
| | | | 52 मि. | 0.2700 | चाही–1 |
| | | | 53 मि. | 0.2530 | चाही–1 |
| | | | 54 मि. | 0.2530 | चाही–1 |
| | | | 57 | 0.2500 | चाही–1 |
| | | | 58 | 0.08 | चाही–1 |
| | | | 59 | 0.08 | चाही–1 |
| | | | 62 मि. | 0.03 | चाही–1 |
| | | | 63 मि. | 0.0940 | चाही–1 |
| | | | 64 | 0.30 | चाही–1 |
| | | | किता 20 | 3.94 | |
| 4. | | सामलाती (जमाबंदीअनुसार) हिस्सा | 55 | 0.02 | गै. मु. रास्ता |
| | | | 56 | 0.02 | गै. मु. रास्ता |
| | | | 46 | 0.04 | गै. मु. रास्ता |
| | | | 45 | 0.05 | गै. मु. रास्ता |
| | | | 54 मि. | 0.0070 | गै. मु. रास्ता |

४५६-

Scanned with OKEN Scanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 53 मि. | 0.0070 | गै. मु. रास्ता |
| | | | 52 मि. | 0.0100 | गै. मु. रास्ता |
| | | | 03 मि. | 0.0060 | गै. मु. रास्ता |
| | | | 48 मि. | 0.0100 | गै. मु. रास्ता |
| | | | किता 09 | 0.1700 | गै. मु. रास्ता |

कुरैजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 20.01.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

20/1/25

**(रामसिंह राजावत)**
**आर.ए.एस**
**उपखण्ड अधिकारी**
**बॉदीकुई**

Scanned with OKEN Scanner